

किरम मुकरमा	नंबर मुकरमा	सकरीत नाम	सकरीत संख्या	सकरीत पता
धारा 111-128	2 116/29	22/10/2014		22/10/2014

अनवान

श्री गोर्धन 5/0 सुरता जाति मीणा

श्री कथाला 5/6 प्रभात जाति मीणा

निवासी जालम की सुपडिया

निवासी जालम की सुपडिया तह. मा. 2014

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेषपोडेंट

डिक्रीदार

मन्थून

श्री मनीष हाकड

श्री

1- गीर्धन पुत्र सुप्रता जाति मीणा एक बराबर किसानों जातक की सुप्रता
तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज.)

2- बाबूलाल पुत्र सुप्रता जाति मीणा एक बराबर किसानों जातक की सुप्रता
तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज.)

1- दयाला पुत्र भागुता जाति मीणा एक बराबर किसानों जातक की सुप्रता
तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज.)

2- मथुरा पुत्र माधु जाति मीणा एक बराबर किसानों जातक की सुप्रता
तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज.)

3- भूमिधारी अधिकारी श्रीमान तहसीलदार महोदय कि.जी.कि.वि. जिला
भीलवाडा(राज.)

-विपक्षीय

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

:--आदेश:-

दिनांक 20/8/78

प्रार्थनापत्र गोर्धन पुत्र सुरता बाबूलाल पुत्र सुरता ने जरिये अभिभासक श्री मनीष धाकड़, दीपक मीणा एडवोकट प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि मौजा ग्राम धनवाडा पटवार क्षेत्र माल का खेडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 705 आराजी नंबर 1434/514 रकबा 0.1781 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की तार्ईद में शापथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र रजिस्टर करवाया गया है। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 जमाबंदी 2077 का अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात का खातेदार /गैर खातेदार का तकार है। पडोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।


अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम धनवाडा पटवार क्षेत्र माल का खेडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 705 आराजी नंबर 1434/514 रकबा 0.1781 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं।

बिजौलिया जिला-भीलवाडा

हैक्टेयर भूमि की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/-रूपये राजकोश मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे ।

प्रार्थनापत्र निर्णित हो कर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-पालवाड़ा
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 116/24

तारीख दायर 22/4/24

पेशिति:-

फैलद - 20/6/24

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 116/24 पत्थरगढी
बाबत् ।

1-गोधन पुत्र सुरता जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी जालम की झूपडिया
तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)

2-बाबूलाल पुत्र सुरता जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी जालम की झूपडिया
तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा(राज.) -प्रार्थीगण

बनाम

1-दयाला पुत्र भागुता जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी जालम की झूपडिया
तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)

2-मथुरा पुत्र माधु जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी जालम की झूपडिया
तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)

3- भूमिधारी अधिकारी श्रीमान तहसीलदार महोदय बिजौलिया जिला
भीलवाड़ा(राज.) -विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम
धनवाडा पटवार क्षैत्र माल का खेडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र
श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता
संख्या 705 आराजी नंबर 1434/514 रकबा 0.1781 हैक्टेयर भूमि की
बशमलात पडोसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के
दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही
हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें।
आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक श्यामपुरा को कमिश्नर नियुक्त
किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार तय कि जाती है वक्त मैके पर
प्रार्थीगण अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो को
सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
बिजौलियाँ